(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक - 19.03.2012 को माननीय जिला प्रभारी मंत्री -सह- अध्यक्ष जिला चयन समिति सारण, छपरा की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभिकरण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 25 दिनांक 20.02.2014 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्य0 अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन कार्यप्रंडल -1 छपरा के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति की राशि पर निम्नालिखित योजनाओ में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नाकिंत योजनाओ का संबंधित अंचलधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनओ का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	2	4	5	6	7
1	सदर 12	रतनपुरा मोहल्ला में राकेश सिंह के घर के आगे गौरी शंकर पटवा के मकान से आगे अवस्थित धर्मनाथ मंदिर रोड पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण।	738000	738000	श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह
		योग :-	738000	738000	

प्रशासनिक स्वीकृति :- (सात लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र)

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-</u> इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल- 1 छपरा द्वारा संपादित किया जायेगा।

<u>कार्यन्वयन की शर्तें</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 981 दिनांक - 17.05.05 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किश्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।

9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानातरित किया जा सके।

11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

13. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रुप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक....914....यो0 दिनांक....20.2.14....

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

20/2/14
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।